

उत्तराखण्ड शासन
 वित्त अनुभाग-6
 संख्या- 444/XXVII(6)/एक/485/2014
 देहरादून: दिनांक: 05 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में वित्त अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता वित्त अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 456/XXVII(6)-483-2014/2008 दिनांक 22.07.2014 के द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों में परिचालित करते हुये यह अपेक्षा की गयी कि यदि किन्हीं कार्मिकों को उक्त सूची में अनन्तिम रूप से दर्शित अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो अथवा ज्येष्ठता हेतु संशोधन करने का दावा करना चाहते हो तो वे अपनी आपत्ति/अभिकथन, लिखित प्रत्यावेदन के रूप में, संगत साक्ष्यों/अभिलेखों/विनियमों सहित इस विभाग को इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से 20 दिन के भीतर उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक के नाम व नाम के समुख आपेक्षित संगत विवरण के कोई कॉलम रिक्त हों अथवा उनमें भरी गयी सूचना में कोई त्रुटि हो तो वांछित सूचना भरे अथवा त्रुटि का परिमार्जन किये जाने हेतु अपना अभिकथन साक्ष्यों सहित लिखित तौर पर उपलब्ध करायें यदि किसी अधिकारी द्वारा अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि ऐसे कार्मिक उक्त सूची में दर्शित अपनी वरिष्ठता की स्थिति से सहमत हैं तथा वे कोई आपत्ति नहीं करना चाहते हैं। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2- कार्यालय ज्ञाप सं 456/XXVII(6)-483-2014/2008 दिनांक 22.07.2014 के द्वारा परिचालित ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में निर्धारित समयान्तर्गत लगभग 44 अधिकारियों से प्रत्यावेदन /आपत्तियां प्राप्त हुयी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा है:-

क्रमांक	आपत्ति का सार	आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में ट्रिप्पी
(1)	(2)	(3)
श्री रमेश चन्द्र सेमवाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
1	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे ऊपर अवस्थित श्रीमती अमिता जोशी को वास्तविक रूप से वित्त सेवा संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप सेवा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	श्रीमती अमिता जोशी का चयन समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा 1990 के क्रम में जिला समादेष्टा होमगार्ड के पद पर हुआ, जिसमें उनके द्वारा 1.10.1994 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उक्त परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल घोषित किया गया। जिसमें श्रीमती

		<p>अमिता जोशी का नाम कोषाधिकारी/लेखाकार के पद पर सातवें स्थान पर तथा श्री रमेश चन्द्र सेमवाल का नाम 29 वें स्थान पर अंकित है।</p> <p>उ0प्र0 के शासनादेश संख्या एस-2-3819 /10-2006-33(46)/01 टी0सी0-1 दिनांक 25. 01.2002 के क्रम में श्रीमती जोशी को कार्यालय आदेश संख्या 454/XXVII(6)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा जिला समादेष्टा होमगार्डस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 01. 10.1994 से परिकल्पित मानते हुये समस्त परिणामी लाभ प्रदान किये गये हैं। अतः श्री सेमवाल की वरिष्ठता श्रीमती जोशी के ऊपर निर्धारित किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः आपत्ति अग्राह्य की जाती है।</p>
श्री पी0सी0 खरे द्वारा अपने प्रत्योवदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
2	वरिष्ठता सूची में क्रमांक-22 पर अवस्थित श्री खरे की ज्येष्ठता क्रमांक-21 पर अंकित श्री जीवन चन्द्र जोशी के साथ चकानुक्रम में निर्धारित की जाय।	श्री जीवन चन्द्र जोशी एवं श्री पी0सी0 खरे दोनों अधिकारी पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय नियुक्त हुये हैं तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पूर्व में निर्धारित हो चुकी है। उ0प्र0 वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री पी0सी0 खरे का नाम श्री जीवन चन्द्र जोशी के नीचे है। नया राज्य बनने के उपरान्त दोनों अधिकारी उत्तराखण्ड में आवंटित हो जाने के फलस्वरूप उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पूर्ववत्त ही बनी रहेगी। अतः आपत्ति अग्राह्य की जाती है।
श्री विक्रम सिंह जन्तवाल, श्रीमती रुचिता तिवारी एवं श्रीमती पूनम सोबती द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
3	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-30-34 में अंकित अधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख बैच वर्ष 2002 अंकित किया जाय।	सीधी भर्ती के अधिकारियों का बैच जिस वर्ष विज्ञापन निकाला हो, उस वर्ष का नहीं होता है। बल्कि उस वर्ष का होता है, जिस वर्ष आयोग की संस्तुति शासन को प्राप्त हुयी हो तथा मौलिक नियुक्ति हुयी हो। अतः आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
श्री विवेक स्वरूप द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		

4	उन्हें श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल से उपर रखा जाय।	प्रत्यावेदक के कथन की लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेखों से पुष्टि किये जाने पर कथन सही पाया गया। अतः आपत्ति स्वीकार करते हुये तदनुसार प्रत्यावेदक का नाम श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल से उपर अंकित कर दिया गया है।
---	---	--

श्रीमती पूनम सोबती द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

5	उनका नाम संशोधित करते हुये श्रीमती पूनम सिंह सोबती अंकित किया जाय।	प्रत्यावेदक के कथन के आधार पर लोक सेवा आयोग के अभिलेखों से मिलान करते हुये उनका नाम श्रीमती पूनम सोबती अंकित कर दिया गया है। जहां तक सिंह अंकित किये जाने का प्रश्न है। प्रत्यावेदक द्वारा पृथक से आवेदन दिये जाने के उपरान्त नियमों के क्रम में ही अंकित किया जा सकता है। इस सीमा तक ही आपत्ति ग्राह्य है।
---	--	---

श्री विक्रम सिंह जन्तवाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

6	शैक्षिक योग्यता संशोधित कर पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एम. (सी.एफ.एम.) अंकित की जाय।	आपत्ति ग्राह्य पाते हुये प्रत्यावेदक के कथन एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यावेदक के नाम के सम्मुख कॉलम-5 में शैक्षिक योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एम. (सी.एफ.एम.) अंकित किया गया।
---	--	--

श्रीमती रुचिता तिवारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

7.	शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम०एस०सी० दर्शित है। जबकि मेरी शैक्षिक योग्यता एम०एस०सी० (गणित), बी०एड० तथा सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन है। अतः तदनुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्रीमती तिवारी के नाम के सम्मुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम०एस०सी० (गणित), बी०एड० तथा सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन अंकित कर दी गयी है।
----	---	---

सुश्री शिवानी भौर्याल, श्रीमती स्मृति खण्डूरी, श्री रैमिल चौधरी, श्री हेमेन्द्र प्रसाद गंगवार, मौ० तन्जीम अली, श्री लखेन्द्र गोथियाल एवं कु० हिमानी स्नेही द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

8.	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक- 45-61 में दर्शित वित्त अधिकारियों की चयन वर्ष 2009-10 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हुयी है, को चयन वर्ष 2009-10 में सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां भर्ती वर्ष 2009-10 में हुई तथा पदोन्तति के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति भी भर्ती वर्ष 2009-10 में हुई है। अतः एक ही चयन	
----	---	--

पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त वित्त अधिकारियों के साथ चक्रानुक्रम में रखा गया है। जो कि उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता नियमावली के नियम 8 (3) के अनुकूल नहीं है। अतः पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों से ऊपर ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	वर्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 (3) के अनुसार निर्धारित की गयी है। आपत्ति अग्राह्य है।
श्री रौमिल चौधरी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-	
9. शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम०ए० दर्शित है। जबकि प्रत्यावेदक की शैक्षिक योग्यता एम०ए०, एल०एल०बी० है। अतः तदनुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्री चौधरी के नाम के समुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम०ए०, एल०एल०बी० अंकित कर दी गयी है।
श्री लखेन्द्र गोथियाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-	
10. शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम०ए० दर्शित है। जबकि प्रत्यावेदक की शैक्षिक योग्यता एम०ए० (अर्थशास्त्र), बी०ए८० है। अतः तदनुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति इस सीमा तक ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्री गोथियाल के नाम के समुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम०ए० (अर्थशास्त्र), बी०ए८० अंकित कर दी गयी है।
श्री तन्जीम अली द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-	
11. शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम०एस०सी० दर्शित है। जबकि प्रत्यावेदक की शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी., एम.फिल., पी.एच.डी. है। अतः तदनुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्री तन्जीम अली के नाम के समुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम०एस०सी०, एम०फिल०, पी०एच०डी० अंकित कर दी गयी है।
सुश्री शिवानी भौर्याल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-	
12. शैक्षिक योग्यता के कॉलम में एम०ए० दर्शित है। जबकि प्रत्यावेदक की शैक्षिक योग्यता एम०ए०, पी०जी०डी०पी०ए० है। अतः तदनुसार सही शैक्षिक योग्यता अंकित की जाय। मौलिक नियुक्ति की तिथि 02.08.	प्रत्यावेदक के कथन व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राह्य पायी गयी है। अतः श्रीमती भौर्याल के नाम के समुख कॉलम पांच में शैक्षिक योग्यता एम०ए०, पी०जी०डी०पी०ए० अंकित कर दी गयी है। मौलिक

	2009 अंकित की जाय।	नियुक्ति की तिथि तदनुसार संशोधित कर दी गयी है।
श्री ओम प्रकाश पन्त द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
13.	कोटिक्रम सूची में बैच वर्ष 2010 अंकित है, के स्थान पर बैच वर्ष 2007 दिया जाय।	प्रत्यावेदक की वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति के माध्यम से मौलिक नियुक्ति की तिथि 26.02.2010 है। अतः प्रत्यावेदक का बैच वर्ष भी 2010 अंकित किया गया है। आपत्ति अग्राह्य है।
श्री पी०सी० जोशी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
14.	पदोन्नति 2007–08 की रिक्ति के सापेक्ष होने के कारण कोटिक्रम सूची में बैच वर्ष 2007–08 अंकित किया जाय।	प्रत्यावेदक की वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति के माध्यम से मौलिक नियुक्ति की तिथि 26.02.2010 है। अतः प्रत्यावेदक का बैच वर्ष भी 2010 अंकित किया गया है। आपत्ति अग्राह्य है।
श्री विजय प्रसाद पन्त द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
15.	पदोन्नति वित्त अधिकारी के पद पर वर्ष 2007–08 की रिक्ति के सापेक्ष होने के दृष्टिगत संशोधित बैच वर्ष 2007–08 मानते हुये तदनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जाय। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में जन्मतिथि 24.07.1955 है। जबकि प्रत्यावेदक की जन्मतिथि 02.08.1955 है। अतः यह अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक की वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति के माध्यम से मौलिक नियुक्ति की तिथि 29.07.2010 है। अतः प्रत्यावेदक का बैच वर्ष भी 2010 अंकित किया गया है। आपत्ति अग्राह्य है। प्रत्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जन्म तिथि संशोधित कर दी गयी है। इस सीमा तक आपत्ति ग्राह्य है।
श्री शिव बल्लभ डोभाल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
16.	बैच वर्ष 2007–08 के अनुरूप ज्येष्ठता निर्धारित की जाय। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में जन्मतिथि 08.03.1958 है। जबकि प्रत्यावेदक की जन्मतिथि 24.07.1955 है। अतः यह अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक की वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति के माध्यम से मौलिक नियुक्ति की तिथि 29.07.2010 है। अतः प्रत्यावेदक का बैच वर्ष भी 2010 अंकित किया गया है। आपत्ति अग्राह्य है। प्रत्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जन्म तिथि संशोधित कर दी गयी है। इस सीमा तक आपत्ति ग्राह्य है।
श्री बसन्त बिहारी ध्यानी, श्री विशाल सिंह बिष्ट द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-		
17.	बैच वर्ष 2007–08 के अनुरूप ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	प्रत्यावेदक की वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति के माध्यम से मौलिक नियुक्ति की तिथि 29.07.

		2010 है। अतः प्रत्यावेदक का बैच वर्ष भी 2010 अंकित किया गया है। बैच वर्ष के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी नियम नहीं है। अतः आपत्ति अग्राह्य है।
--	--	--

श्री मोहन लाल टम्टा द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

18.	मेरी पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी से वित्त अधिकारी में रोस्टर प्रणाली के अनुसार हुई। रोस्टर के अनुसार ही ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	प्रत्यावेदक की पदोन्नति पूर्व में लागू आरक्षण व्यवस्था के क्रम में वित्त अधिकारी के पद पर हुई। रोस्टर के अनुसार ज्येष्ठता सूची तैयार करने का कोई नियम नहीं है। अतः आपत्ति अग्राह्य है।
-----	---	--

श्री सुनील कुमार रत्नांजलि द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

19.	ज्येष्ठता सहायक लेखाधिकारी से पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत 2003 से 2009 के मध्य उपलब्ध रिक्ति के वर्ष के सापेक्ष की जाय तथा सहायक लेखाधिकारी, उप कोषाधिकारी, रोकड़िया एवं सीधी भर्ती के क्रम में वर्षवार रिक्ति के सापेक्ष की जाय।	नियुक्ति हेतु रिक्तियों की उपलब्धता के वर्ष से वरिष्ठता दिये जाने का जब तक कि किसी कार्मिक को किसी विशिष्ट पूर्ववर्ती तिथि से नियुक्ति न दी गयी हो, नियमों में कोई प्राविधान है। अतः आपत्ति ग्राह्य नहीं है।
-----	---	--

श्री प्रकाश लाल शैल द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

20.	मेरी पदोन्नति वित्त अधिकारी के पद पर रोस्टर प्रणाली के अनुसार हुई। रोस्टर के अनुसार ही ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।	बिन्दु संख्या 18 में अंकित टिप्पणी पठनीय है। आपत्ति ग्रहण योग्य नहीं पायी जाती है।
-----	--	--

श्री चन्दन राम द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

21.	जन्मतिथि 24.08.1955 है। जबकि मेरी जन्म तिथि दिनांक 24.09.1955 है। अतः यह अंकित की जाय।	प्रत्यावेदक द्वारा जन्म तिथि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर दिनांक 24.09.1955 अंकित कर दी गयी है। अतः आपत्ति ग्राह्य की जाती है।
-----	--	---

श्री गोविन्द बल्लभ उपाध्याय द्वारा अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत् अनुरोध किया है :-

22.	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक- 20, 22, 26, 27 एवं 28 में अंकित अधिकारियों को उनकी पदोन्नति के वर्ष से पूर्व का बैच आवंटन के सम्बन्ध में शंका प्रकट की है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को	उल्लेख किया जाना है कि क्रमांक-25 तक अवस्थित अधिकारी की ज्येष्ठता उ०प्र० से निर्धारित है। अतः इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः आपत्ति अग्राह्य है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित समस्त कार्मिकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये) के
-----	---	---

	<p>अन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित न किया जाय।</p> <p>शैक्षिक योग्यता वाले कॉलम में इंगित शैक्षित योग्यता एम०कॉम० के स्थान पर एम०कॉम०, बी०एड० अंकित की जाय।</p>	<p>नाम अन्तिम ज्येष्ठता सूची में भी अंकित किये गये हैं। जो कि नियमानुसार हैं। अतः आपत्ति अग्राह्य है।</p> <p>प्रत्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर इस सीमा तक आपत्ति ग्राह्य है। तदनुसार शैक्षिक योग्यता संशोधित कर एम०कॉम०, बी०एड० अंकित कर दी गयी है।</p>
<p>श्री भास्करानन्द पाण्डेय, श्री पंकज शुक्ल, श्री दिनेश कुमार, कु० पूजा नेगी, कु० नीतू भण्डारी, श्रीमती शशि सिंह, श्री आनन्द सिंह एवं श्री वीरेन्द्र रावत द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में निम्नवत् अनुरोध किया है :-</p>		
23.	<p>सीधी भर्ती के माध्यम से चयन वर्ष 2010-11 में नियुक्ति पाये अधिकारियों जो कि ज्येष्ठता सूची में क्रमांक- 72 से 79 में अंकित है, के द्वारा ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति व्यक्त की गयी है कि ज्येष्ठता सूची बैच वर्ष के अनुसार निर्धारित की जाय। अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त अधिकारियों को 29. 10.2010 को प्रोन्नत अधिकारियों से ऊपर रखा जाय।</p>	<p>सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियां भर्ती वर्ष 2010-11 में हुई। आपत्ति में वर्णित प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति भी भर्ती वर्ष 2010-11 में हुई है। अतः ज्येष्ठता नियमावली के नियम 8(3) के अनुसार ज्येष्ठता क्रमांक- 60 से अग्रेतर चक्रानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। अन्तिम ज्येष्ठता सूची में हुई त्रुटि को संशोधित किया गया।</p>
<p>श्री पंकज शुक्ल, सुश्री पूजा नेगी, सुश्री नीतू भण्डारी, श्री वीरेन्द्र रावत द्वारा अपने प्रत्यावेदनों में निम्नवत् अनुरोध किया है :-</p>		
24.	<p>शैक्षिक योग्यता एवं गृह जनपद तथा जन्मतिथि सम्बन्धी विवरण के सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध कराते हुये उक्त विवरण को तदनुसार अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।</p>	<p>प्रत्यावेदकों की आपत्ति इस सीमा तक ग्राह्य पाते हुये तदनुसार शैक्षिक योग्यता एवं गृह जनपद तथा जन्म तिथि में संशोधन/पुनरीक्षण कर दिया गया है।</p>

3- अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों में वर्णित आपत्तियों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। जो आपत्तियां ग्राह्य की गयी हैं उनको ग्राह्य किये जाने के फलस्वरूप अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के प्रस्ताव में जो सुधार अथवा परिमार्जन किये जाने अपेक्षित थे, वो कर लिये गये हैं। जो आपत्तियां ग्राह्य नहीं की गयी हैं उनके समुख वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदनुसार टिप्पणी अंकित कर दी गयी है।

तदनुसार उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में वर्णित प्राविधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों के

उपरोक्तानुसार निस्तारण के उपरान्त बनायी गयी उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग पदधारकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची इस कार्यालय ज्ञाप के परिशिष्ट के अनुसार प्रख्यापित की जाती है।

संलग्नक :- परिशिष्ट ।

Sachiv
(भास्करानन्द)

सचिव

संख्या— 147 (1) / XXVII(6)-ए-485/2010 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय नैनीताल।
4. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इन्टरनेट में प्रसारण हेतु।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

D.S.
(दिलीप जावलकर)

अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या 147/XXVII(6)/485-2014/2008 दिनांक 05 जून 2015 को "परिशिष्ट"

उत्तराखण्ड में वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	भर्ती का स्पेत / बैच	नियुक्ति तिथि	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रदीप कुमार गोयल	01-09-1955	हरिद्वार	एम0कॉम, एल0एल0बी0	सीधी भर्ती/ 1981	26-12-1983	
2	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल	07-09-1954	बहाराइच	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1983	01-07-1986	सेवानिवृत्त
3	श्रीमती भागीरथी बनग्याल	25-01-1959	पिथौरागढ़	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1984	14-07-1986	
4	श्री प्रमोद कुमार जोशी	01-11-1959	हरिद्वार	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1986	06-04-1990	
5	श्री लक्ष्मी नारायण पंत	10-05-1959	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1986	13-07-1990	
6	श्री पंकज तिवारी	22-08-1963	रायबरेली	बी0ए0	सीधी भर्ती/ 1986	01-08-1989	
7	श्री शैलेन्द्र शंकर सिंह	01-01-1961	गाजीपुर	एल0एल0बी0	सीधी भर्ती/ 1986	09-08-1989	
8	सुश्री कृष्णा रौकली	01-07-1958	पिथौरागढ़	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1986	08-08-1989	
9	श्री भूपेश चन्द्र तिवारी	21-08-1961	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1987	24-04-1990	
10	श्री जगदीश चन्द्र	06-06-1958	चमोली	एम0एस0सी0, एल0एल0बी0	सीधी भर्ती/ 1987	13-11-1990	
11	श्री अमर सिंह	15-07-1956	हरिद्वार	बी0ए0	सीधी भर्ती/ 1988	25-04-1998	
12	श्रीमती जयंति हयांकी	05-05-1962	पिथौरागढ़	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1988	17-02-1991	
13	श्रीमती कविता नवियाल	02-08-1964	पिथौरागढ़	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1988	18-02-1991	
14	श्री दिनेश चन्द्र लोहनी	31-05-1965	नैनीताल	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1989	02-11-1992	
15	श्री धर्म सिंह बोनाल	25-12-1962	पिथौरागढ़	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1989	01-11-1992	
16	श्रीमती अमिता जोशी	31-10-1968	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1990	01-10-1994	
17	श्री रमेश चन्द्र सेमवाल	23-01-1958	देहरादून	एम0ए0, एल0एल0बी0	सीधी भर्ती/ 1990	16-06-1994	
18	श्री महावीर सिंह बिष्ट	01-07-1956	चमोली	एम0बी0ए0	सीधी भर्ती/ 1990	10-02-1999	
19	श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान	07-08-1965	इटावा	एम0कॉम0, पी0जी0डी0बी0एम0, आई0सी0डब्लू0ए0 (इण्टर)	सीधी भर्ती/ 1991	28-09-1995	
20	श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली	19-03-1960	पौड़ी गढ़वाल	-	प्रोन्त/ 1991	17-01-1995	
21	श्री जीवन चन्द्र जोशी	31-01-1964	अल्मोड़ा	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 1994	01-05-1998	
22	श्री प्रभात चन्द्र खरे	02-03-1960	बांदा	एम0एस0सी0	प्रोन्त/ 1994	03-08-1998	
23	श्री गंगा प्रसाद	02-11-1968	टिहरी गढ़वाल	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1997	29-12-1998	
24	श्री जगत सिंह चौहान	15-05-1973	देहरादून	एम0एस0सी0	सीधी भर्ती/ 1997	21-10-1998	
25	श्रीमती आभा गर्खाल	01-02-1973	पिथौरागढ़	बी0ए0	सीधी भर्ती/ 1998	12-11-1999	
26	श्री हर सिंह बौनाल	18-01-1970	पिथौरागढ़	एम0ए0	प्रोन्त/ 2001	24-04-2002	
27	श्री जयपाल सिंह तोमर	20-09-1970	देहरादून	बी0एस0सी0	प्रोन्त/ 2001	24-04-2002	
28	श्री त्रिभुवन लाल शाह	08-09-1954	चमोली	एम0ए0	प्रोन्त/ 2002-03	01-05-2005	सेवानिवृत्त
29	श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव	15-03-1978	बरेली	एम0ए0	सीधी भर्ती/ 2005	18-07-2005	
30	श्री विकम सिंह जंतवाल	11-01-1977	नैनीताल	एम0एपी0जी0डी0सी0ए 0 / पी0जी0डी0एम0 (सी.एफ.एम.)	सीधी भर्ती/ 2005	18-07-2005	

5666

31	श्री मनीष कुमार उप्रेती	16-05-1972	अल्मोड़ा	एम०एस०सी० (गणित) / बी०एड० / सर्टिफिकेट	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
32	श्रीमती रुचिता तिवारी	07-03-1973	नैनीताल	एम०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
33	श्री खजान चन्द्र पाण्डे	31-03-1981	अल्मोड़ा	एम०ए	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
34	श्रीमती पूनम सोबती	22-10-1972	हरिद्वार	एम०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
35	श्री विषेक स्वरूप	07-07-1975	इलाहाबाद	बी०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	19-07-2005	
36	श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल	30-04-1976	अल्मोड़ा	एम०ए	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
37	श्री मो गुलफाम अहमद	01-08-1979	हरिद्वार	बी०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
38	श्रीमती अनीता आर्य	24-04-1977	नैनीताल	एम०ए	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
39	श्री नरेन्द्र सिंह	02-06-1971	उदयमासिंह नगर	बी०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
40	श्री वीरेन्द्र कुमार	25-01-1973	बागेश्वर	बी०एस०सी०	सीधी भर्ती/2005	18-07-2005	
41	श्री आनन्द राम	05-06-1956	चमोली	इन्टर	प्रोन्नत/2006	14-12-2006	
42	श्री लक्ष्मी राम आर्य	26-08-1963	अल्मोड़ा	बी०ए	प्रोन्नत/2007	19-12-2007	
43	श्री सुरेन्द्र सिंह कलखोली	12-09-1956	चमोली	बी०कॉम०	प्रोन्नत/2008	03-06-2008	
44	श्री ओम प्रकाश पन्त	10-06-1956	चमोली	बी०ए	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	
45	सुश्री शिवानी भौर्याल	30-11-1977	बागेश्वर	एम.ए.पी.जी.डी.पी.ए.	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
46	श्री करम सिंह नेगी	18-08-1955	अल्मोड़ा	एम०ए	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	
47	श्री मनमोहन मैनाली	14-07-1972	अल्मोड़ा	एम०ए	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
48	श्री पूरन चन्द्र जोशी	01-12-1962	अल्मोड़ा	इन्टर	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	
49	श्री संजीव कुमार सिंह	01-07-1982	बलिया	एम०एस०सी०	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
50	श्री गौरी शंकर चौधरी	12-01-1955	अल्मोड़ा	इन्टर	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	सेवानिवृत्त
51	श्रीमती स्मृति खण्डूड़ी	05-10-1976	पौड़ी गढ़वाल	एम०एस०सी०	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
52	श्री रुकम सिंह मन्द्रवाल	02-07-1954	टिहरी गढ़वाल	इन्टर	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	सेवानिवृत्त
53	श्री रोमिल चौधरी	16-01-1973	अल्मोड़ा	एम०ए	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
54	श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल	14-08-1954	पौड़ी गढ़वाल	बी०ए	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	सेवानिवृत्त
55	श्री हेमन्द्र प्रकाश गंगवार	23-10-1982	उदयमासिंह नगर	एम०ए	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
56	श्री टीका राम	15-11-1954	पौड़ी गढ़वाल	बी०ए	प्रोन्नत/2010	26-02-2010	सेवानिवृत्त
57	मो० तन्जीम अली	05-05-1971	हरिद्वार	एम०एस०सी०, एम.फिल. पी.एच.डी.	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
58.	श्री लखेन्द्र गौथियाल	15-12-1976	हरिद्वार	एम.ए.(अर्थसाम्राज्य), बी. एड.	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
59.	कु० हिमानी स्नेही	01-06-1982	हरिद्वार	एम०ए	सीधी भर्ती/2009	02-08-2009	
60.	श्री हरीश चन्द्र पन्त	03-07-1954	अल्मोड़ा	बी०ए	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	सेवानिवृत्त
61.	श्री भास्करानन्द पाण्डेय	20-05-1974	नैनीताल	एम०ए	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
62	श्री हरीश चन्द्र जोशी	05-06-1955	अल्मोड़ा	बी०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	

5166

63.	डॉ पंकज कुमार शुक्ल	15-07-1975	प्रतापगढ़	पी०एच०डी० (कैमिस्ट्री)	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
64.	श्री विजय प्रसाद पन्त	02-08-1955	चमोली	एम०ए०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
65.	श्री दिनेश कुमार	15-05-1975	नैनीताल	एम०ए० (समाजशास्त्र)	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
66.	श्री शिव बल्लभ डोभाल	08-03-1958	पौड़ी गढ़वाल	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
67.	कु० पूजा नेगी	20-03-1986	पिथौरागढ़	एम.एस.सी (गणित)	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
68.	श्री बसन्त बिहारी ध्यानी	08-03-1958	पौड़ी गढ़वाल	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
69.	कु० नीतू भण्डारी	17-06-1977	पौड़ी गढ़वाल	बी.एस.सी एम.एम	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
70.	श्री विशाल सिंह बिष्ट	27-04-1959	टिहरी गढ़वाल	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
71.	श्रीमती शशि सिंह	19-05-1979	हरिद्वार	बी.एस.सी., एम.ए. (इतिहास) बी.एड.	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
72.	श्री चन्द्र बल्लभ पाठक	27-03-1958	पिथौरागढ़	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
73.	श्री आनन्द सिंह	01-01-1977	देहरादून	स्नातकोत्तर	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
74.	श्री गोबिन्द बल्लभ उपाध्याय	01-01-1963	पिथौरागढ़	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
75.	श्री वीरेन्द्र रावत	14-11-1972	देहरादून	बी.एस.सी., एम.ए. (अर्थशास्त्र) पी.जी.डी. सी.ए.	सीधी भर्ती/2010	19-12-2010	
76.	श्री सुनील कुमार रत्नौड़ी	15-01-1965	टिहरी गढ़वाल	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
77.	श्री प्रकाश लाल शैल	15-03-1963	नैनीताल	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
78.	श्री मोहन लाल टम्टा	11-11-1962	अल्मोड़ा	एम०कॉम०	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	
79.	श्री चन्दन राम	24-08-1955	अल्मोड़ा	इन्टर	प्रोन्नत/2010	29-07-2010	

Shrawan
(भास्करानन्द)
सचिव